इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेशा राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 65]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 13 फरवरी 2012-माघ 24, शक 1933

खेल एवं युवा कल्याण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 फरवरी 2012

क्र. एफ. 1-15-2008-नौ.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश खेल और युवा कल्याण संचालनालय, चतुर्थ श्रेणी सेवा भरती नियम, 1987 में निम्निलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में विद्यमान अनुसूची के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची स्थापित की जाये, अर्थात् :--

अनूसूची (नियम 2 (ग) देखिये)

नाम	पदीं की संख्या	वर्गी— करण	वेतनमान	भर्ती की पद्धित चाहे सीधी भर्ती द्वारा हो या पदोन्नति द्वारा या स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तयों की प्रतिशत	आयु सीमा	सीधी भर्ती के अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता	परिवीक्षा अवधि की काला– वधि	पदोन्नित	नियुक्ति प्राधिकारी	विभागीय पदोन्नति समिति
ग्राउण्डमेन ग्राउण्डमेन	1	चतुर्थ श्रेणी	5200— 20200 +1900	पदोन्नति द्वारा शत—प्रतिशत	6	7 -	8 —	9 दफ्तरी 5 वर्ष	10 संचालक, खेल एवं युवा कल्याण	11 संचालक, खेल एवं युवा कल्याण म.प्र. द्वारा
2. दफ्तरी	1	तदैव	4440— 7440 +1400	पदोन्नति द्वारा शत—प्रतिशत		-	-	भृत्य / माली / स्वीपर 5 वर्ष	तदैव	गठित समिति तदैव
3. रसोईया	2	तदैव	5200— 20200 +1800	सीधी भर्ती द्वारा शत—प्रतिशत	18-35	8वीं कक्षा उत्तीर्ण	2 वर्ष	_	तदैव	PROTECTION
4. भृत्य	67	तदैव	4440—7440 +1300	सीधी भर्ती द्वारा शत—प्रतिशत	18-35	8वीं कक्षा उत्तीर्ण	2 वर्ष		तदैव	*****
5. माली	1	तदैव	44407440 +1300	सीधी भर्ती द्वारा शत—प्रतिशत	18—35	8वीं कक्षा उत्तीर्ण	2 वर्ष	_	तदैव	
6. स्वीपर -	1	तदैव	44407440 +1300	सीधी भर्ती द्वारा शत—प्रतिशत	18-35	5वीं कक्षा उत्तीर्ण	2 वर्ष		तदैव	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक शाह, सचिव.

भभोपाल, दिनांक 13 फरवरी 2012

क्र. एफ. 1-15-2008-नौ.—मध्यप्रदेश खेल और युवा कल्याण संचालनालय चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती नियम, 1987 में संशोधन हेतु जारी अधिसूचना क्रमांक एफ. 1-15-2008-नौ, भोपाल, दिनांक 13 फरवरी 2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक शाह, सचिव.

Bhopal, the 13th February 2012

No F 1-15/2008/9, In exercise of the powers conferred by the provision to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendment in the Madhya Pradesh Sports and Youth Welfare Directorate Class-IV Service Recruitment Rules 1987 namely:-

AMENDMENT

In the said rules, for the existing schedule the following Schedule shall by substituted, namely SCHEDULE

[See Rule - 2(c)]

Name of	No	Classif	Scale of Pay		For direct recruitment only			Rv	Annointing	Departmental Promotion
Name of Post	No of Post	Classif ication	Scale of Pay	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion of transfer and percentage of vacancies to be filled by				By Promotion	Appointing Authority	Departmental Promotion Committee
				various method		to be made				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ground men	1	Class IV	5200- 20200+1900	By Promotion 100%	-		•	Daftari 5 Years	Director Sports and Youth Welfare	As Constituted by Director, Sports and Youth Welfare M.P. from time to time
Daftari	1	Class IV	4440- 7440+1400	By Promotion 100%	-		-	Peon / Gardener / Sweeper 5 Years	Director Sports and Youth Welfare	As Constituted by Director, Sports and Youth Welfare M.P. from time to time
Cook	2	Class IV	5200- 20200+1800	By Direct Recruitment 100%	18-35 Years	VIII th Passed	2 Years	-	Director Sports and Youth Welfare	
Peon	67	Class IV	4440- 7440+1300	By Direct Recruitment 100%	18-35 Years	VIII th Passed	2 Years	•	Director Sports and Youth Welfare	-
Gardener	1	Class IV	4400- 7440+1300	By Direct Recruitment 100%	18-35 Years	VIII th Passed	2 Years	-	Director Sports and Youth Welfare	-
Sweeper	. 1	Class IV	4400- 7440+1300	By Direct Recruitment 100%	18-35 Years	V th Passed	2 Years	-	Director Sports and Youth Welfare	-

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, ASHOK SHAH, Secy.